International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 7, July- 2017, pp. 444~449
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

चुनाव सुधारः निर्वाचन आयोग की भूमिकाः

डा0 ब्रजेष कुमार त्रिपाठी,
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
हीरा पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर।

विश्व के लोकतांत्रिक देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, लोकतांत्रिक राजनीति का वैशिष्ट्य यह है कि सरकार जनता द्वारा एक नियत अन्तराल पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनी जाती है। चुनाव लोकतंत्र के पद्चिन्ह निर्मित करते हैं। इसी माध्यम से जनता अपने दृष्टिकोण मूल्य एवं विश्वास को राजनैतिक वातावरण में अभिव्यक्त करती है। चुनाव के माध्यम से जनता एक सरकार को वैधानिक स्वीकृति देती है कि सरकार उनके उपर शासन करे। नेतृत्व के चयन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया निर्वाचन के माध्यम से ही संपन्न होती है। निर्वाचन के अवसर प्रदान करते हैं कि समय–समय पर जनता परिवर्तन कर सके, जब वह ऐसा करना चाहती हो। इस प्रकार निर्वाचन के माध्यम से जनता की प्रतीकात्मक संप्रभुता एवं सरकार की वैधानिकता दोनों मान्यता प्राप्त करती है। इसलिए स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव सफल लोकतंत्र की नींव है। भारतीय संविधान इस हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करता है, जिसकी भूमिका स्वातंत्योत्तर भारतीय राजनैतिक संस्थाओं के विकसित होते स्वरूप में सराहनीय रही है। आम तौर पर निर्वाचन का कार्यभार राष्ट्रके विधानमण्डलों पर छोड़ दिया जाता है, संविधानों में उसकी विशेष चर्चा नहीं होती। पर भारतीय संविधान ने इस विषय को पूरा एक अध्याय समर्पित करके संविधान निर्माण में एक नई प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। इसके अन्तर्गत निर्वाचन पर विस्तृत उपवधों से यह प्रत्यक्ष है कि संविधान निर्माता इस राजनैतिक अधिकार को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। (एम0पी0 पायली, पृष्ठ 199)

ब्रिटिश उत्तराधिकार की निरन्तरता के परिणाम स्वरूप भारत ने संसदीय लोकतंत्र का चुनाव किया है। केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर निर्वाचन के माध्यम से ही क्रमशः लोकसभा एंव

विधान मण्डल का गठन होता है। लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में निर्वाचन प्रक्रिया के कई ऐसे कारक हैं जिन्होंने पंगु बना दिया है, या अपनी इच्छा से संचालित होने वाली मशीन बना दिया है। इस प्रकार की व्यवस्थागत खामियों ने निर्वाचन प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों को हाथ आजमाने के लिए उत्प्रेरित किया है। व्यापक स्तर पर चौथे आम चुनाव 1967 तक भारत की निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रही। लेकिन निर्वाचन संबंधी दोषों का भान पहली बार 1971 के पांचवे आम चुनाव से होता दिखता है और बाद के निर्वाचनों में स्थितियां बद् से बदतर ही होती दिखती है।

निर्वाचन आयोग ने समय–समय पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया अपनाने के प्रति अपनी प्रतिवद्धता जाहिर करता रहा है। चुनाव आयोग द्वारा अनेकों ऐसे आदेश एवं अनुसंशाएं की गयी है, जिनसे चुनाव में होने वाले दूषण को रोका जा सके। यद्यपि भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का स्वच्छता अभियान तारकुण्डे समिति 1975, गोस्वामी समिति 1990, वोहरा समिति 1993, इन्द्रजीत गुप्ता समिति, विधि आयोग की सिफारिशें 1999, भारतीय चुनाव आयोग का चुनाव, सुधार हेतु प्रस्ताव 2004 एवं प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुसंशाओं के माध्यम से समय–समय पर किया गया है (लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी जून 2012) लेकिन प्रस्तुत शोध पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये महत्तवपूर्ण विचारों एवं सुझावों पर केन्द्रित है।

1– चुनाव आचार संहिताः–

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु एक अभिभावक की भूमिका सौंपी है। प्रत्येक चुनाव में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों के लिए एक चुनाव आचार संहिता तैयार करता है, जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने में सहयोग मिले। 1971 में प्रथम बार चुनाव आचार संहिता का प्रयोग पांचवे आम चुनाव (लोकसभा) में हुआ। तब से आज तक विभिन्न आम चुनावों में आचार संहिता कालानुरूप संवर्हित स्वरूप में सामने आती रही है। आचार संहिता वे दिशानिर्देश हैं जिन्हें चुनाव के दौरान राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया की संपन्नता हेतु अनुपालन करते हैं। निर्वाचन आयोग ने अनेकों बार आम चुनाव होने से पहल जारी आचार संहिता में यह निर्देशित करता रहा है कि मंत्रीमण्डल या अन्य अधिकारीगण

किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान नये प्रोजेक्ट की आधारशिला, सड़क निर्माण का वादा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी विभागों में नौकरियों की नियुक्तियां नहीं करेगा, जिससे की शासक दल को चुनावी लाभ पहुंचने की संभावना हो।

उपरोक्त प्रतिबंध एवं निर्देश के बावजूद आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह एक सामान्य शिकायत है कि सत्तारूढ़ दल सरकारी अमले का दुरूपयोग चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में करता रहा है। सरकारी तंत्र के दुरूपयोग के कई स्वरूप हमारे सामने हैं। यथा विज्ञापन हेतु सरकारी कोष का दुरूपयोग, सरकारी मीडिया का बेजा इस्तेमाल, जिसमें अपनी उपलब्धियों को बढ़ा–चढ़ाकर बताना एवं अन्य राजनैतिक दलों को उचित समय एवं फोरम उपलब्ध न करवा पाना। चुनाव प्रसार में सरकारी विमान, हेलीकाप्टर एवं वाहनों का दुरूपयोग बहुतायत देखने को मिलता है।

2002 में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त निर्देशन में अनु0 324 के अधीन एक आदेश जारी किया जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा एक एफिडेविट स्वयं के आपराधिक रिकार्ड, चल, अचल सम्पत्ति (स्वयं पत्नी एवं निर्भर लोगों की सूची) विवरण, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण, निर्वाचन में नामांकन के समय लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा चुनावों में देना अनिवार्य होगा। लेकिन राजनैतिक दलों द्वारा इसे निर्वाचन आयोग एवं न्यायपालिका द्वारा उनके अधिकारों में हस्तक्षेप माना गया। जुलाई 2002 को इक्कीस राजनैतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चुनाव आयोग के निर्देश राजनैतिक दलों पर लागू नहीं किये जाने चाहिए। न्यायपालिका द्वारा जनअधिकारों के अभिरक्षक के रूप में यह स्पष्ट किया गया कि नागरिक को अपने उम्मीदवार के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च, 2003 को दृढ़तापूर्वक जून 2002 के निर्णय पर बल देते हुए यह आदेश निर्गत किया कि यदि पूर्ण एवं प्रासंगिक हल्फनामा उम्मीदवार द्वारा नहीं दिया गया है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और रिर्टनिंग आफिसर ऐसे नामांकन को रद्द करने का अधिकारी होगा। असत्य एवं अधूरी जानकारी भी नामांकन रद्द होने के साथ ही साथ भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध होगा। 2004 आम चुनावों में यह निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण–रूपेण अनुपालन की दशा में आ पाया।

निर्वाचन आयोग का उपरोक्त आदेश लोकतंत्र के स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में था। लोकतंत्र में नागरिक को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देशित किया कि प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र के साथ संलग्न एफिडेविट को सार्वजनिक करने का अधिकारी होगा।

राजनैतिक दलों का पंजीकरण–

दल प्रणाली संसदीय लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण है, यद्यपि भारतीय संविधान में दल प्रणाली का प्रत्यक्ष उल्लेख कहीं भी नहीं है। राजनैतिक दलों की सूचीबद्धता से संबंधित वैधानिक कानून 1989 में लागू किये गये, जो बहुत ही उदार प्रावधानों से युक्त थे। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अगम्भीर राजनैतिक दलों ने आयोग से पंजीकृत हो गये। पंजीकरण के पश्चात् बहुत सारे राजनैतिक दलों ने एक भी निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया है। ये दल केवल मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मशरूम की तरह उगे राजनैतिक दलों को प्रतिबंधित करने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये। आयोग वर्तमान में 100 मतदाताओं के समर्थन युक्त पत्र एवं 10,000 न्यूनतम कोष के साथ दलों का पंजीकरण करता है। राजनैतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक पंजीकृत दल को अपने संविधान के अनुरूप आन्तरिक निर्वाचन संपन्न करना चाहिए। 'जन प्रतिनिधित्व अधि0 1951 के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण आयोग से होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29ए के तहत किसी भी राजनैतिक दल के पंजीकरण वैध आवेदन की वैधानिक आवश्यकताओं में से एक ही दल को भारत के संविधान के प्रतिनिष्ठा और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र तथा भारत की एकता प्रमुखता और अखण्डता को बनाए रखने का वचन देना होगा। राजनैतिक दल, यद्यपि पंजीकरण के समय इन संवैधानिक प्रावधानों को मानने का वचन देते हैं, परन्तु निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि इस वचन उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही कर सके। आयोग को दलों के पंजीकरण रद्द करने के अधिकार की महती आवश्यकता है। (योजना जुलाई, 2014)

राजनैतिक अपराधिकरण पर रोकः–

भारत में भारत में राजनीति का अपराधिकरण एक गंभीर समस्या है। वर्ष 1993 में भारत सरकार के गृह सचिव एन0एन0 वोहरा के अधीन एक समिति का गठन किया गया था कि वह सरकारी तंत्र एवं राजनेताओं पर अपराधियों के असर का आंकलन करे। समिति अपनी रिपोर्ट में लिखा आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच गिरोहबंदी देश के कई इलाकों में साफ देखी जा सकती है। इतना ही नहीं चुनाव लड़ने का खर्च इतना बढ़ चुका है कि उसने राजनेताओं को ऐसे तत्वों के पाले में कर दिया और सुरक्षा तथा खुफिया व्यवस्था के अधिकारियों ने काफी हद तक समझौते किये, (बिजनेस स्टैण्डर्ड हिन्दी)। 1993 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट के बाद भी चुनाव में पैसे और ताकत का इस्तेमाल बढ़ता ही गया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है और यह कोशिश की है कि निर्वाचन के दायरे में ऐसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों से यह सम्मति बनाने की कोशिश की है कि कोई भी राजनैतिक दल अपराधियों को टिकट न दे। समस्त उम्मीदवार अपने हल्फनामे में सभी प्रकार के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी दे जिससे उसे प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सम्मुख सार्वजनिक कर ऐसी छवि के लोगों को चुनाव प्रक्रिया में आने से हतोत्साहित किया जा सके।

तकनीक का प्रयोगः–

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव आयोग द्वारा समय–समय पर वैज्ञानिक एवं तकनीक माध्यमों का सहारा लेकर चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम0) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार निर्वाचन आयोग ने प्रयोग के तौर पर इ0वी0एम0 का प्रयोग केरल विधान सभा चुनाव 1982 में किया, जो एक सफल प्रयोग था। जून 1999 में गोवा पहला प्रदेश बना जहां सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हेतु इलेक्ट्रानिक मशीन का प्रयोग किया गया। वर्तमान में सभी लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव इ0वी0एम0 द्वारा संपन्न हो रहे हैं तथा सफलतापूर्वक परिणाम घोषित हो रहे हैं। जिससे न केवल समय की बचत हो रही है, अपितु विभिन्न प्रकार के परिणाम संबंधी वैधानिक प्रकृति के विवादों से भी बचाव हुआ है। 28 फरवरी

1998 में चुनाव आयोग द्वारा अपनी बेवसाइट लांच की गयी है जो संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारियों को प्रामाणिक स्रोत बन चुकी है। सभी प्रकार को चुनाव संबंधी सूचनाएं इस बेवसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि माध्यमों से निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायी मतदाता एवं मतदान प्रतिशत में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। एक परिपक्व लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्वाचन आयोग की महती भूमिका स्पष्ट हुई है। मतदाता सूची पूर्ण रूपेण आनलाइन हो जाने से भी मतदाता पहचान पत्र संबंधी कमियों को जानना एवं दूर करना संभव हुआ है–द हिन्दू 2008।

निष्कर्षतः निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और लोकतांत्रिक संस्था के रूप में आम भारतीय में एक आशावाद पैदा करने में सफल रहा है कि वह सफल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की क्षमता से युक्त है और वह निरन्तर सुधारों की ऐसी दिशा में अग्रसर है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का महानतम लोकतंत्र बन सके।

संदर्भ सूची

एम0वी0 पायली, भारतीय संविधान एवं परिचय–विकास पब्लिकेश हाउस

लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी, जून, 2012 खण्ड 44 अंक 1–2

योजना जुलाई 2014

बिजनेस स्टैण्डर्ड हिन्दी, 28 मई 2017

द हिन्दू 2008